कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक २२५ /१५-१६ दिनांक जौनपुर जुलाई, २२ ,2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषयः— जनपद जौनपुर में चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हरहुआ, वाराणसी द्वारा इलाहाबाद—गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद—मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0—07) किमी0 45 चैनेज 200—400 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम मठिया भीखपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर के आराजी नं0 2638 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— 1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या—पी—106/14—2—2018—800(97)/2018 दिनांक 13.07.2018।

2. चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हरहुआ, वाराणसी का पत्रांक दिनांक 03.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अनुपालन में चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, डिवीजन ऑफिस एन.एच.—31, बाबतपुर रोड़ पोस्ट—हरहुऑं, वाराणसी ने वर्णित शर्त सं0—7 व 27 के अनुपालन में ई—चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) तथा शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि उ0प्र0, कैम्पा, खाता सं0—1509019933389456, आई0एफ0एस0सी0 कोड़—CORP0000371, "कार्पोरेशन बैंक, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक—11, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस—1, लोधी रोड़, नई दिल्ली—110003 के पक्ष में निम्न प्रकार जमा कर दी गयी है, एवं उ0प्र0, शासन द्वारा लगाई गयी शर्तो का अनुपालन आख्या/वचनबद्धता संलग्न है।

क्र0 सं0	विवरण/मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	शर्त संख्या—7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.075518 शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0)	47,275.00	एन.ई.एफ.टी.	30.12.2019	SBIN519364985405
2	शर्त संख्या—27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव/(सी0ए0)	1,44,700.00			
	योग—	1,91,975.00			

चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, डिवीजन ऑफिस एन.एच.—31, बाबतपुर रोड़ पोस्ट—हरहुऑं, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्नकर तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ महोदय द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

C. No	Conditions	Status of Complience
1	2	3
1	वनभूमि के एक्सीलेशन/डी—एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
2	सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जायेगा, जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
3	फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जायेगा, जो बाहरी दिवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है, जो संलग्न है।

4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइस लैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू न हो) के अतिरिक्त होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
5	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.075516 हे0 से अधिक नही होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
6	इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूरक पौधरोपण एवं निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का मदवार विवरण, दिया गया हो) प्रेषित किया जाय, तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त सं0–7 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा शर्त सं0–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो तक रखरखाव (सी0ए0) की धनराशि Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपरोक्तानुसार जमा कर दी गयी है। अतः अनुपालन कर लिया गया हैं।
8	उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां "प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–।। भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–।, लोधी रोड़, नई दिल्ली" के पक्ष में जमा कराया जायेगा।	भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) की धनराशि उ0प्र0, कैम्पा, खाता सं0–1509019933389456, आई0एफ0एस0सी0 कोड़–CORP0000371, "कार्पोरेशन बैंक, लोदी काम्पलेक्श ब्रान्च, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्श, फेज–1, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003 के पक्ष में जमा की गयी है। अतः अनुपालन कर लिया गया है।
9	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
10	नोडल अधिकारी उ0प्र0, द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगें।	इस बिन्दु का अनुपालन नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ महोदय द्वारा किया जाना है।
11	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के हानी हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगें।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
12	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन माना जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।

13	प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
14	उक्त वनभूमि प्रस्ताव विभाग के उपयोग में प्रश्नगत् अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावित वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग को आवश्यक न रहे, वनविभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
15	भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J–11013/41/2006– IA–II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि लागू हो तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टी से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
16	उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
17	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
18	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करना होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है, जो संलग्न है।
19	प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्‌यान/वन्यजीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
20	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दावों का निस्तारण किया जा चुका है।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
22	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।
23	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है, जो संलग्न है।
24	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2104 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा बिन्दुवार वचनबद्धता दी गयी है।

25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गया दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है। अतः अनुपालन कर लिया गया है।
26	प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या– एफ0एन0 सं0– 11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्ताव में संलग्न है। अतः अनुपालन कर लिया गया है।
27	प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी द्वारा 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव/(सी0ए0) की धनराशि रू0 1,44,700.00 मात्र बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से बिन्दु सं0 8 के निर्देशन में जमा की गयी। अतः अनुपालन कर लिया गया हैं।
28	प्रयोक्ता अभिकरण वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि पर कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहा है।	जिलाधिकारी जौनपुर का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
29	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धित प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि– डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0लि0, एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ वाराणसी–221105, को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

कार्यालय वन संरक्षक
वाराणसी वृत्त, वाराणसी
क्रमांक......1084......
पत्रावली सं0...23-1......
दिनांक..04..8..2021

इंडियन ऑयल

IndianOil
A Maharatna Company

विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

बिन्दुवार आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद जौनपुर में चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हरहुआ, वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम मठिया भीखपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर के आराजी नं0 2638 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) संख्या–पी–106/14–2–2018–800(97)/2018 दिनांक 13.07.2018 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या/वचनबद्धता निम्न प्रकार है।

1. शर्त संख्या 1– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0. हरहुआ, वाराणसी इस आशय की वचनबद्धता देता है कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. शर्त संख्या 2– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जायेगा, जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
3. शर्त संख्या 3– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जायेगा, जो बाहरी दिवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. शर्त संख्या 4– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइस लैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
5. शर्त संख्या 5– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.075518 हे0 से अधिक नही होगा।
6. शर्त संख्या 6– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) होगा।
7. शर्त संख्या 7– उक्त के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) की धनराशि उ0प्र0, कैम्पा, खाता सं0–15090199333389456, आई0एफ0एस0सी0 कोड़–CORP0000371, "कार्पोरेशन बैंक, लोदी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज–1, लोदी रोड़, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।

क्र0 सं0	विवरण/मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.075518 शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0)	47,275.00	एन.ई.एफ.टी.	30.12.2019	SBIN519364985405
2	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव/(सी0ए0)	1,44,700.00			
	योग–	1,91,975.00			

दीपक कुमार सिन्हा/Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

8. **शर्त संख्या 8**– उपरोक्त आदेशों के अनुसार Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि उ0प्र0, कैम्पा खाता सं0–1509019933389456, आई0एफ0एस0सी0 कोड़–CORP0000371, "कार्पोरेशन बैंक, लोदी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज–1, लोदी रोड़, नई दिल्ली के पक्ष में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
9. **शर्त संख्या 9**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
10. **शर्त संख्या 11**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के हानि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी, और संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगा।
11. **शर्त संख्या 12**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
12. **शर्त संख्या 13**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि मेरे सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी, अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधिन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगें यदि उक्त व्यक्तिों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर मुझे मान्य होगा।
13. **शर्त संख्या 14**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि उक्त वनभूमि के उपयोग में प्रश्नगत् अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावित वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो मुझे आवश्यक न हो, वनविभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
14. **शर्त संख्या 15**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या– I–11013/41/2006– Iए0–एच9(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि लागू हो तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टी से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
15. **शर्त संख्या 16**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
16. **शर्त संख्या 17**– राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधिन होंगी।
17. **शर्त संख्या 18**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा।
18. **शर्त संख्या 19**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि प्रश्नगत् परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। प्रश्नगत् भूमि सेंन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही है।
19. **शर्त संख्या 21**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
20. **शर्त संख्या 22**– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि समस्त वैधानिक स्वीकृतियां/अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

दीपक कुमार सिन्हा/Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबंधक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

21. **शर्त संख्या 23**— इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
22. **शर्त संख्या 24**— इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2104 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
23. **शर्त संख्या 25**— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाने सम्बन्धित अनुपालन आई0ओ0सी0एल0 द्वारा कर लिया गया है।
24. **शर्त संख्या 26**— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या– एफ0एन0 सं0– 11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान सम्बन्धित अनुपालन कर लिया गया है।
25. **शर्त संख्या 27**— 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव सम्बन्धित धनराशि विन्दु सं0–7 के क्रम में प्रेषित कर अनुपालन कर लिया गया है।
26. **शर्त संख्या 28**— वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
27. **शर्त संख्या 29**— इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, हरहुआ, वाराणसी इस आशय की बचनबद्धता देता है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही करायी जायेगी।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

(दीपक कुमार सिन्हा)
डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा /Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

इंडियन ऑयल
IndianOil
A Maharatna Company
विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

वचनबद्धता प्रमाण पत्र
(सक्षम स्तर द्वारा)

जनपद–जौनपुर में ग्राम–मठिया भीखपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, में आराजी न 2638, इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–40 के मध्य बायी पटरी पर प्रस्तावित 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–पी–119/14–2–2018–800(101)/2018 दिनांक 30.08.2019 के **शर्त संख्या 3 के अनुपालन** डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, एन0एच–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ वाराणसी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी जाती है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा /Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

IndianOil
A Maharatna Company
विपणन प्रभाग
Marketing Division

वचनबद्धता प्रमाण पत्र
(सक्षम स्तर द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम–मठिया भीखपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, में आराजी नं0 2638, इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर प्रस्तावित 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) संख्या–पी–106/14–2–2018–800(97)/2018 दिनांक 13.07.2018 के **शर्त संख्या 7 व 8 के अनुपालन** में Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा क्षतिपुरक वृक्षारोपण (सी0ए0) की धनराशि उ0प्र0, कैम्पा, खाता सं0–1509019933389456, नई दिल्ली के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा /Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

इंडियन ऑयल
IndianOil
A Maharatna Company
विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) में सक्षम स्तर बढ़ोत्तरी होने पर अवशेष के भुगतान करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक संख्या–पी–106 / 14–2–2018–800(97) / 2018 दिनांक 13.07.2018 के शर्त सं0 18 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम–मठिया भीखपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद जौनपुर, आराजी नं0 2638 इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निमार्ण के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.075518 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के उपरान्त भी भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) में भारत सरकार / सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होने पर अवशेष एन0पी0वी0 का भुगतान इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा / Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

इंडियनऑयल
IndianOil
A Maharatna Company
विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

वचनबद्धता प्रमाण पत्र
(सक्षम स्तर द्वारा)

जनपद–जौनपुर में ग्राम–मठिया भीखपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, में आराजी नं0 2638, इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर प्रस्तावित 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) संख्या–पी–119 / 14–2–2018–800(101) / 2018 दिनांक 30.08.2019 के **शर्त संख्या 23 के अनुपालन में** डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, एन0एच–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ, वाराणसी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी जाती है कि समय समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा / Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

इंडियन ऑयल
IndianOil
A Maharatna Company
विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वाराणसी डिविजनल ऑफिस :
एन.एच.-31, बाबतपुर रोड
पोस्ट- हरहुआ, वाराणसी-221 105
Indian Oil Corporation Limited (MD)
Varanasi Divisional Office :
N.H.-31 Babatpur Road, PO : Harahua
Varanasi - 221 105
Tel. No. : 0542-2100026, 2622442-3, 2623441-2

वचनबद्धता प्रमाण पत्र
(सक्षम स्तर द्वारा)

जनपद–जौनपुर में ग्राम–मठिया भीखपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, में आराजी नं0 2638, इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर प्रस्तावित 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) संख्या–पी–119/14–2–2018–800(101)/2018 दिनांक 30.08.2019 के **शर्त संख्या 29 के अनुपालन में** डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, एन0एच–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ, वाराणसी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नही किया जाएगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
एन0एच0–31, बाबतपुर रोड़, पो0–हरहुआ
वाराणसी–221105

दीपक कुमार सिन्हा /Deepak Kumar Sinha
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों की स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् सत्यापन सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, एन0एच0–31, बाबतपुर रोड, पो0–हरहुआ वाराणसी द्वारा जनपद–जौनपुर में ग्राम मठिया भीखपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर के आराजी नं0 2638 पर इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, मछलीशहर द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कोई उल्लघन नही किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत्प्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

वन भूमि की माँग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, एन0एच0–31, बाबतपुर रोड, पो0–हरहुआ वाराणसी–221105 द्वारा ग्राम मठिया भीखपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर के आराजी नं0 2638 पर इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु प्रस्तावित 0.075518 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है, तथा प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-12-2019

Agency Name.	INDIAN OIL CORPORATION LTD VARANASI
Application No.	19933389456
MoEF/SG File No.	P-106/14-2-2018-800(97)/2018
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	INDIAN OIL CORPORATION LTD, VARANASI DIVISIONAL OVaranasi
Amount(in Rs)	191975/-

Amount in Words :One Lakh Ninety-One Thousand Nine Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1509019933389456 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only. This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies m... Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Status of the Payment made by User Agencies

▿ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉**Proposals received on or after 15th July 2014** ○**All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Lucknow **Select State :** Uttar Pradesh

Select User Agency : Select

Online Help Query **Payment Status :** ◉**Paid** ○**Unpaid** ○**All**

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 33389

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/33389/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/33389/2018) Protected Forest Land Proposed to be diverted for Exit/Entry Approach to IOCL Retail Outlet on Allahabad-Gorakhpur Road SH-7(Allahabad-Murga Badshapur Road) in KM.45 Gata No.2638 Village:Mathiya-Bhikhpur, District:Jaunpur	OTHERS333892018456	13 Jul 2018	CA: 144700/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 47275/-, Total :191975/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Oct 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Dec 2019 Transaction Date : 30 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1011211221213WJD62DemandJaunpur.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS333892018456)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in